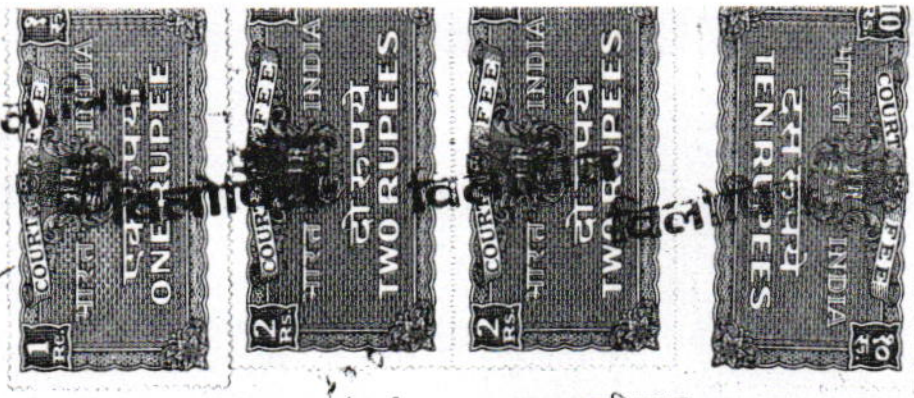

C.8/03/51

न्यायालय- माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० /03 निगरानी - 1222-III/2003

जगदीश प्रसाद उर्फ वृजेश कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद वैश्य निवास ग्राम खाडे हाल करैरा जिला शिव-पुरी --आवेदक।

ओ.पी. सिंह - अभिभाषक द्वारा आज दि. 13/8/03

13 AUG 2003

बनाम

1· रामलाल) पुत्रगण वैजू
2· कन्ही)
3· हरीराम)
4· देशराज)
5· कलावती वेवा लक्ष्मण
6· वहादुर 7· मानसिंह 8· सुन्दर
8· पुत्रण लक्ष्म ण नावालिग सरपस्ती मा कलावती
9· रामकुमार पुत्र लक्ष्मण
10· उमा पुत्री लक्ष्मण
11· उत्तरावती नावालिग पुत्री सरपस्ती म T कलावती
12· हीनू 13· शान्ति 14· रामश्री पुत्रिया वैजू लोधी निवासी ग्राम टोडो तहसील करैरा जिला शिवा

-- अनावेदक·

Advocate O.P. Singh 13.8.03

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश श्री एस·पी· गुप्ता अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर जो कि प्रक0 240/01-02 अ· में दिनांक 28·2·2003 को पारित किया गया । व

--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1222–तीन/2003 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र0क्र0 240/01–02/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.02.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा संहितता की धारा 178 तहत एक आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम टोडा की भूमि सर्वे क्र0 कितर 9 रकबा 8.99 है का उभयपक्ष के मध्य बटवारा किये जाने की मांग की गई । तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 25.11.86 को बटवारा आदेश पारित किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्र0क्र0 19/85–86/अपील में पारित आदेश द्वारा पुनः विधिवत बटवारा नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित किये जाने के निर्देश किये गये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.04.88 को बटवारा आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध पुनः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.06.2001 को मय धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.02 को यह अपील अवधि बाह्य मानते हुये अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ दिनांक 28.02.2003 अपील सारहीन मानकर खारिज की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह	

निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत बटवारा नियमों का पालननहीं किया गया है। न तो फर्द बटवारा का प्रकाशन कराया गया है और न ही उस पर किसी पक्ष के सहमति के हस्ताक्षर है । फर्द बटवारा पर आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है । अनावेदकगण की अनुपस्थिति के बाद सीधे ही प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में जिन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, उन निर्देशों का तहसीलदार द्वारा कतई पालन नहीं किया गया है । इस प्रकार त्रुटिपूर्ण आदेशों के विरूद्ध कोई समय सीमा का बंधन नहीं है । उसे वर्णित आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर विधिवत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को विधिवत कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने की मांग की गई। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

5/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में वर्णित आदेश दिनांक 22.04.88 की जानकारी दिनांक 29.05.2001 को होना बताया है और दिनांक

02.06.2001 को नकल मिलना बताया है तथा अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 07.06.2001 को प्रस्तुत करना बताया है । आवेदक का यह कथन मान्य किये जाने योग्य नहीं है। तहसीलदार के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन पत्र जगदीश ने ही दिया था और उसी पर से बटवारा प्रकरण तहसील न्यायालय में स्थापित हुआ । वर्ष 1988 से मरीब 13 वर्ष के अन्तराल में आवेदक को अपने प्रकरण के संबंध में कुछ जानकारी न होना या उसके द्वारा इस अवधि में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास न करता तर्क संगत नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार अपने हितों के प्रति सुप्त रहा । ऐसी स्थिति में इस 13 वर्ष की समयावधि को क्षमा नहीं किया जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी का समयावधि के बाहर अपील मानने का जो आदेश था वह अपनी जगह सही प्रतीत होता है और अपर आयुक्त ने उसे यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से खारिज की जाती है और अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2002 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य